Annexure-III

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

सं.		दिनांक
		Dated:
सेवा में,		
To,		
लेख	ब्रा अधिकारी (पेंशन)	
	e Accounts Officer (Pension)	
	त्ती विकास प्राधिकरण	
De	lhi Development Authority	
नई	दिल्ली	
Ne	w Delhi.	
विषय :-		/श्रीमती/कुमारी
	पदनाम	के पेरान कागजात ।
Sub. :-	Pension papers of Shri/Smt./Kumari	
	(Designation) retiring on	
महोदय,		·
Sir,		
मुझे.		विभाग में कार्यरत श्री/श्रीमती/
		र्गो को आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित करने
का निदेश हु		
lar	m directed to forward herewith the pension papers o	f Shri/Smt./Kumari
working in t	the office offor furth	er necessary action.
2. वे	देयताएं जो कि कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तिथि को व	काया होंगी और जिन्हें सेवा-निवृत्ति ग्रेचयुटी की राशि
	किया जाना है, उनका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कि	
	e details of dues which will remain outstanding on th	
	recovered out of the amount of retirement, gratuity	are indicated in the consolidated 'No Demand
Certificate'	issued by the competent authority.	
3. आप	पका ध्यान एतद्द्वारा अग्रेषित किए गए संलग्नकों की सूची	की ओर आकर्षित किया जाता है।
	ur attention is invited to the list of enclosures forwar	

4. इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजी जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पेंशन लाभों के बारे में इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

The receipt of this letter may be acknowledged and this office informed of the pensionary benefits sanctioned by the competent authority.

भवदीय, Your faithfully,

(कार्यालय-प्रमुख नाम एवं पदनाम सहित)
(Head of Office with Name & Designation)

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा भरा जाए)

(To be filled in by the retiring employee)

फार्म-5

FORM - 5

(नियम-59 (1) (सी) एवं 61 (1) देखें)

(SEE RULES 59 (1) (C) and 61 (1)

कार्यालय के प्रमुख अधिकारी द्वारा सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी से उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व लिए जाने वाले विवरण ।

Particulars to be obtained by the Head of Office from the retiring employee eight months before the date of his retirement.

- 1. नाम Name
- 2. क जन्म तिथि Date of birth
 - ख सेवा निवृत्ति की तिथि Date of Retirement
- 3. तीन नमूना हस्ताक्षर, (जो अलग कागज पर प्रस्तुत किए जाएं) जो दि.वि.प्रा. के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित हों ।
 Three specimen signatures (to be furnished in a separate sheet) duly attested by a Gazetted officer of the DDA
- 4. पत्नी या पित के साथ संयुक्त फोटो की पासपोर्ट आकार की तीन प्रतियां (जो कार्यालय के प्रमुख अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों ।)
 Three copies of pass-port size joint photograph with wife or husband (to be attested by the Head of Office).
- 5. ं ऊंचाई और व्यक्तिगत पहचान चिहन का विवरण दर्शाने वाली दो स्लिप, जो दि.वि.प्रा. के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित हो । Two slips showing the particulars of height and personal identification marks duly attested by the Gazetted Officer of DDA.
- 6. वर्तमान पता Present Address
- 7. सेवा निवृत्ति के बाद का पता Address after retirement
- उस वैक/पेंशन शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन निकाली जाएगी ।
 Name of the bank/Pension branch through which the pension is to be drawn.

- 9. फार्म-3 में परिवार का ब्यौरा । Details of the family in form-3.
- 10. इस बात का उल्लेख करें कि क्या पारिवारिक पेंशन किसी अन्य स्त्रोत-मिलट्री या राज्य सरकार और/या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय से स्वीकार्य है। Indicate whether family pension is admissible from any other source-Military of State Govt. and/or a public sector undertaking/autonomous body/local body under the Central or a State Govt.

स्थान	सेवा निवृत्त होने वाले
PLACE	Signature of the
दिनांक	कर्मचारी के हस्ताक्षर
DATED	Retiring employee
	पदनाम Designation
	विभाग/कार्यालय Deptt./Office

टिप्पणी :-NOTE:

2.

जो व्यक्ति अशिक्षित है और अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकता उस व्यक्ति द्वारा अपने बांये हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के निशान वाली विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित दो स्लिपें प्रस्तुत की जाएं । यदि ऐसा कर्मचारी शारीरिक अपंगता के कारण बांये हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के निशान देने में असमर्थ हो तो वह दायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के निशान दे सकता है । यदि किसी कर्मचारी के दोनो हाथ न हों तो वह अपने पैर के अंगूठे का निशान दे सकता है । ये निशान दि.वि.प्रा. के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित होने चाहिए ।

Two slips each bearing the LTI and finger impression duly attested may be furnished by person who is not literate to sign his name. If such an employee on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impression, he may give thumb and finger impressions of the right hand. Where an employee has lost both the hands, he may give his toe impression. Impressions should be duly attested by a Gazetted Officer of the DDA

यदि कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पॅशन) नियम, 1972 के नियम-54 द्वारा शासित है और अविवाहित या विधुर या विधवा है, तो उनके द्वारा केवल अपनी पासपोर्ट आकार की दो फोटो प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

Two copies of the pass-port size photographs of self only need be furnished if the employee is governed by Rule-54 of the CCS (Pension) Rules, 1972 and is unmarried or a widower or widow.

- 3. यदि कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या पित के साथ फोटो प्रस्तुत न कर सकता हो, तो वह अपनी अलग फोटो प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। फोटो कार्यालय के प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।
 Where it is not possible for an employee to submit a photograph with his wife or her husband, he or she may submit separate photographs. The photographs shall be attested by the Head of Office.
- 4. कुछ सुस्पष्ट चिह्नों, यदि संभव हो, तो कम से कम दो को निर्दिष्ट करें। Specify a few conspicuous marks, not less than two, if possible.
- 5. पते के संबंध में बाद में किसी परिवर्तन की सूचना कार्यालय के प्रमुख को दी जानी चाहिए । Any subsequent change of address should be notified to the Head of Office.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(कार्यालय के प्रमुख द्वारा भरा जाने के लिए ।)
(To be filled by the Head of Office)
फार्म-7

FORM - 7

पेंशन एवं ग्रेचुएटी का निर्धारण करने हेतु फार्म । FORM FOR ASSESSING PENSION & GRATUITY (नियम 58, 60, 61 (1) एवं (3) और 65 (1) देखें) [See Rules 58, 60, 61 (1) & (3) and 65 (1)]

भाग-1 PART-1

- कर्मचारी का नाम Name of the employee
- 2. पिता का नाम (महिला कर्मचारी के मामले में पित का नाम भी लिखें) Father's name (and also husband's name in the case of female employee)
- 3. जन्म तिथि Date of birth (by Christian era)
- 4. धर्म Religion
- 5. स्थायी रिहायशी पता जिसमें गांव, कस्बा, जिला और राज्य का उल्लेख किया गया हो । Permanent residential address showing village, town, district and state.
- वर्तमान या अंतिम नियुक्ति संस्थापना के नाम सहित :-Present or last appointment including name of establishment :

(1)	मूल
	Substantive

- (2) स्थानापन्न, यदि कोई हो..... Officiating, if any....
- सेवा शुरू करने की तिथि
 Date of beginning of Service
- 8. सेवा समाप्ति की तिथि Date of ending of service

- 9. (1) मिलट्री सेवा की कुल अवधि जिसके लिए पेंशन और ग्रेचुएटी की स्वीकृति दी गई थी ।

 Total period of military service for which pension and gratuity was sanctioned.
 - (2) मिलट्री सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेंशन/ग्रेचुएटी की राशि एवं प्रकार ।

 Amount and nature of any pension/gratuity received for the military service.
- पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त किसी भी पेंशन/ग्रेचुएटी की राशि एवं प्रकार ।
 Amount and nature of any pension/gratuity received for previous civil service.
- 11. वह सरकार, जिसके अधीन रोजगार हेतु सेवा की । वर्ष माह दिन Government under which service has been Years Months Days rendered in order of employment.
- 12. प्रयोज्य पेंशन की श्रेणी
 Class of pension applicable.
- 13. तिथि जिसको कार्रवाई शुरू की गई :The date on which action initiated to :-
 - (1) नियम-57 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्टाफ क्वार्टर कक्ष से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र । Obtain 'No Demand Certificate' from the Staff Quarter Cell as provided in Rule-57.
 - (2) नियम-59 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेंशन हेतु अर्हक सेवा एवं परिलब्धियों को निर्धारित करना । Assess the service and emoluments qualifying for pension as provided in Rule-59; and
 - (3) नियम-73 (1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्टाफ क्वार्टर के आबंटन से संबंधित देय राशियों को छोड़कर कर्मचारी के प्रति बकाया देय राशियों का निर्धारण । Assess the outstanding dues against the employee, other than the dues relating to the allotment of staff quarter as provided in Rule-73(1)
- 14. सेवा पुस्तिका में चूक, त्रुटि या किमयों का ब्यौरा, जिन्हें नियम-59 (1) बी (ii) के अन्तर्गत नज़र अंदाज कर दिया गया । Details of omissions, imperfections or deficiencies in the service book which have been ignored under Rule 59 (1) (b) (ii).
- 15. अर्हक सेवा की पूरी अवधि (खंडित अवधि में जोड़ने के उद्देश्य के लिए महीनों को तीस दिन के रूप में गिना जाता है)।

 Total length of qualifying service (for the purpose of adding towards broken periods, a month is reckoned as thirty days.)

16.	थर्न्डक सेवा	की अवधि				
10.	Periods of	f non-qual	ifving service		from	to
	1 011000	The state of the state of	, 3			
	1. सेव	न में त्यवध	ान जो नियम-28	के अन्तर्गत क्षम्य	है।	
			n service condo			
				ieu		
		nder Rule-2		म नहीं है ।		
			काश जो अर्हक र			
			ry leave not qua			
			अवधि, जिसे अर्हक			
	P	eriod of sus	spension not trea	ated as qualifyi	ng.	
	4. a	ाई अन्य सेव	वा, जिसे अर्हक के	रूप में न सम	झा जाए ।	
	A	ny other se	rvice not treated	as qualifying.		
					कुल	
					TOTAL :	
17.	रणहान की	गणना के 1	लिए परिलब्धियां ।			
17.			ng for gratuity.			
	Lindianie	IIIS ICCROIN	ing for grataity.			
18.	Average 6	नव्धियां (सेव emolument service)	ा के पिछले 10 s (emoluments c	माह के दौरान र Irawn during la	नी गई परिलब्धियां) st ten	
						9 C C .:
धारित	पद क	व से	कब तक	वेतन	व्यक्तिगत वेतन	औसत परिलब्धियां
Post	F	rom	To	Pay	अथवा विशेष वेतन	Average
held					Personal Pay	emoluments
					or special Pay	
10	कर्मकारी मं	गाउ ५ पा	प्त होने की तिथि	(कर्मचारी की से	वा-निवृत्ति से आठ माह पूर्व प	प्राप्त हो जानी चाहिए)
19.	Date on w	hich Form	-5 has been obta	ined from the e	mployee (to be obtained eig	ght months before the
			the employee).	incomornation		
	uale 01 le	mement of	the employee).			
20	(i) प्र	स्तावित पॅश-	H			
20	(.)	roposed p				
		स्तावित ग्रेडि				
	(11)	स्तावत प्रह	13012			

Proposed graded relief

प्रस्तावित संवा-निवृत्ति उपदान

Proposed retirement gratuity

21.

- 22. तिथि, जिससे पेंशन शुरू होनी है

 Date from which pension is to commence
- 23. अनिन्तम पेंशन की प्रस्तावित राशि, यदि सेवा-निवृत्ति से पूर्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही की गई हो ।
 Proposed amount of provisional pension, if departmental or judicial proceeding is instituted against the employee before retirement.
- 24 कर्मचारी के नाम देय बकाया राशि का विवरण जो उपदान से वसूल की जाने वाली है । Details of dues outstanding against the employee recoverable from the gratuity :
 - (i) स्टाफ क्वार्टर के आबंटन के लिए लाइसेंस फीस (नियम-72 के उप नियम (2) (3) और (4) देखें) Licence fee for the allotment of the staff quarter (see sub-rules (2), (3) and (4) of Rule-72)
 - (ii) नियम-73 में संदर्भित बकाया राशि । Dues refered to in Rule 73
- 25. क्या सेवा-निवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए नामांकन किया गया है। (कृपया फाइल/सेवा पुस्तिका की पृष्ठ संख्या दें)
 Whether nomination made for retirement gratuity/ death gratuity (please give page No. of file/ service book)
- 26. क्या कर्मचारी पर पारिवारिक पेंशन 1964 लागू होती है, यदि है तो Whether family pension 1964 applies to the employee, and if so :
 - (i) पारिवारिक पेंशन के लिए गणना की गई परिलब्ध्यां emoluments reckoning for the family pension;
 - (ii) यदि सेवा-निवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु होती है तो कर्मचारी के परिवार को देय पारिवारिक पेंशन की राशि । The amount of the family pension becoming payable to the family of the employee, if death takes place after retirement:

 - (i) प्रपत्र-3 में दिए विवरणानुसार परिवार का पूर्ण और उद्यतन विवरण: Complete and up-to-date details of the family as given in form-3:

क्रम सं.	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी के साथ संबंध
SI.	Name of the member	Date of	Relationship with
No.	of the family	Birth	the employee

- 27. कद Height
- 28. पहचान चिन्ह Identification mark
- 29. पेंशन के भुगतान का स्थान (बैंक/पेंशन शाखा) Place of payment of pension, (bank/Pension Branch)
- 30. लेखाशीर्ष जिससे पॅशन और उपदान की राशि डेबिट होगी Head of Account to which pension and gratuity are debitable.

स्थान	संव	निवृत्त होने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	
	Sig	nature of Retiring Employee	.,
तिथि			
नोट:- - इस	उद्श्य के लिए परिवार आशय के. सि. सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उप नियम (14) व	क्री धारा
NOTE: Far	में वर्णित परिवार से है । mily for this purpose means family as defir ension) Rules, 1972.	ned in clause (b) of Sub-Rule (14) of Rule 54 of the	e CCS
	कार्यालय प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
	Counter-signed by Head of Office	Signature	
		नाम	®
		Name	
		पदनाम Designation	
		(रबड़ की मुहर <mark>सहित)</mark>	

(with rubber stamp)

......

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

फार्म-3 FORM-3 (नियम 54(12) देखें) [See Rule 54 (12)] परिवार का विवरण DETAILS OF FAMILY

- कर्मचारी का नाम Name of the employee
- 2. पदनाम Designation
- 3. जन्म तिथि Date of birth
- 4. नियुक्ति की तिथि

 Date of appointment
- 5. दिनांक.....को परिवार के सदस्यों का विवरण Details of the members of the family as on :

कम सं. SI. No.	परिवार के सदस्यों के नाम Name of the members of the family	जन्म तिथि Date of Birth	कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee	कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर Initial of Head of Office	टिप्पणी Remarks
				Omoc	

में एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि उपर्युक्त विवरण उद्यतन रखूंगा और किसी वृद्धि अथवा परिवर्तन की सूचना कार्यालय के प्रमुख को दे दूंगा ।

I hereby undertake to keep the above particulars upto date by notifying to the Head of Office, any addition or alteration.

Annexure-VIII

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

फार्म-।-ए

FORM-1-A

जब आवेदक की यह इच्छा हो कि पेंशन की परिवर्तित राशि पें<mark>शन भुगतान आदेश के</mark> माध्यम से अधिकृत की जाए, तब चिकित्सा परीक्षण के बिना <mark>पेंशन के</mark>

किसी भाग के परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र ।

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A FRACTION OF PENSION WITHOUT MEDICAL EXAMINATION WHEN APPLICANT DESIRES THAT THE PAYMENT OF THE COMMUTED VALUE OF PENSION SHOULD BE AUTHORISED THROUGH PENSION PAYMENT ORDER.

(नियम 5(2), 12,13(3), 14(1) एवं 15(3) देखें) [See Rule 5(2), 12, 13(3), 14(1) & 15(3)]

(सेवा निवृत्त होने की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)। (To be submitted in duplicate at least three months before the date of retirement)

> भाग-। PART-I

मेवा में.	(पदनाम एवं कार्यालय प्रमुख
सवा म,	1
The	का पता निर्दिष्ट करें)
	(Indicate the designation & address
***************************************	of the Head of Office)

विषय : चिकित्सा जांच के बिना पेंशन परिवर्तन ।

Sub: Commutation of pension without medical examination.

महोदय/महोदया, Sir,

केन्द्रीय सिविल सेवा (पॅशन परिवर्तन) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनु<mark>सार मै अपनी पॅशन के एक भाग को</mark> परिवर्तित कराना चाहता हूँ । इसके लिए आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत है :--

I desire to commute a fraction of my pension in accordance with the provisions of the CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981. The necessary particulars are furnished below:—

- नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name (in block letters)
- पिता का नाम (महिला कर्मचारी के मामलें में पित का नाम भी दें)
 Father's name (and also husband's name
 in the case of a female employee).
- 3. पदनाम Designation
- 4. कार्यालय का नाम, जिसमें कार्य कर रहे हों । Name of office in which employed

(13)

- जन्म तिथि (ईसवी सन् में) 5. Date of birth (in Christian era)
- सेवा पूरी करने पर सेवा निवृत्ति की तिथि अथवा एफ.आर. 56 (डी) के अन्तर्गत सेवा में वृद्धि की समाप्ति की तिथि। Date of retirement on superannuation or on the expiry of extension in service granted under FR 56(d)
- परिवर्तित की जाने वाली प्रस्तावित सेवा पूरी होने पर मिलने वाली पेंशन का भाग । 7. Fraction of superannuation pension proposed to be commuted.
- क) 8. संवितरण अधिकारी, जिससे सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन ली जानी है। Disbursing authority from which pension is to be drawn after retirement
 - नामित बैंक की शाखा, पत्र व्यवहार के पूर्ण पते सहित । ख) (1) Branch of the nominated bank with complete postal address.
 - (2) बैंक खाता संख्या, जिसमें प्रत्येक माह मासिक पेंशन जमा की जानी है। Bank Account No. to which monthly pension is to be credited each month.

नोट :--NOTE:

- आवेदक मासिक पेंशन की राशि का भाग (जिसके अधिकतम 40% की शर्त पर 1.1.96 से प्रभावी) को निर्दिष्ट करें, जिसे वह परिवर्तित करना चाहता है/चाहती है और राशि रुपयों में न हो । The applicant should indicate the fraction of the amount of monthly pension (subject to a maximum 40% thereof w.e.f. 1.1.96) which he/she desires to commute and not the amount in rupees.
- जो लागू न हो उसे काट दें। 2. Score out which is not applicable.

		हस्ताक्षर
		वर्तमान पत्राचार का पता :
		Signature
	,	Present Postal Address :
		सेवा निवृत्ति के बाद पत्राचार का पता :
		Postal address after retirement :
स्थान :-		
PLACE		
पदनाम :-		
DATED		

भाग-**॥** PART-॥

(पावर्ता) (Acknowledgement)

श्री/श्रीमती/कुमारी	
Received from Shri/Smt./Kumari	
(पदनाम)सं	चिकित्सा जांच के बिना पेंशन के भाग के परिवर्तन हेतु
_(designation)applic	eation in Part-I for commutation of a fraction of pension
भाग-। में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ।	
without medical examination.	
स्थान	
Place दिनांक.	
Dated	

कार्यालय प्रमुख कं हस्ताक्षर पदनाम और सील/खड़ मुहर सहित Signature of Head of Office with designation and seal/rubber stamp

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के नमूना हस्ताक्षर SPECIMEN SIGNATURE OF THE RETIRING EMPLOYEE

	दिनांकको सेवानृत्त होने वाले श्री/श्रीम	ती/कुमारी
सुपुत्र श्र	गी/पत्नी श्री	जो
******		पद पर कार्यरत थे, के नमूना हस्ताक्षर ।
	Specimen singnature of Shri/Smt./Kumari	
S/o, W	//o, D/o	
design	nation	retiring on
1.		
2.		
3.		
		मेरे सामने हस्ता <mark>क्षर किए</mark>
		Signed before me
		हस्ताक्षर
		Signature
		नाम एवं पदनाम
		Name & Designation
		(मोहर सहित) (with rubber stamp)
		(with rubber stamp)
	नोट: किसी राजपत्रित अधिकारी/दि.वि.प्रा. के NOTE: to be attested by the Gazetted Offic	
	•	
	3	अथवा
		OR

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY सेवा निवृत्त कर्मचारी के अंगूठे और उंगली के निशान THUMB & FINGER IMPRESSIONS OF THE RETIRING EMPLOYEE (अशिक्षित कर्मचारी के मामले में) (In case of illiterate employee)

अंगूठे एवं उंगली के निशान श्री/श्रीमती/कुमारी.
Thumb & finger impressions of Shri/Smt./Kumari.
अन्तिम पद.
Last Designation.

अंगूठा तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठा
Thumb Forefinger Middle Finger Ring Finger Little Finger

साक्ष्यांकित करने वाले के Attested by:

स्थान Place दिनांक. Date

नोट : किसी राजपत्रित अधिकारी/दि.वि.प्रा. कं कार्यालय प्रमुख द्वारा साक्ष्यांकित कराया <mark>जाए</mark> ।

NOTE: to be attested by the Gazetted Officer/Head of Office D.D.A.

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

	दिनांकको	सेवानिवृत्त	होने वाले श्री/श्रीमती/कुमारी		
जोके पद पर कार्यरत थे, का कद और पहचान चिन्ह ।					
HEIGHT AND IDENTIFICATION MARKS OF					
Shri/Smt./Kumari					
	Designationretiring on(दो प्रतियां जमा करानी है ।) (To be submitted in duplicate)				
1 22 22					
1.	कद				
	Height				
2.	पहचान चिन्ह				
2.	Identification marks	i)			
	(कम से कम दो)				
	(at least two)	ii)			
1.	कद				
	Height				
2.	पहचान चिन्ह्				
	(कम से कम दो)				
	Identification marks	i)			
	(at least two)	ii)			
	(
			हस्ताक्षर		
			Signature		
			नाम एवं पदनाम		
			Name & Designation		
			(मोहर सहित)		
			(with rubber stamp)		
स्थान					
Place दिनांक	**************************				
Dated					
-					
नोट :	किसी राजपत्रित अधिकारी/	दि.वि.प्रा.	के कार्यालय प्रमुख द्वारा साक्ष्यांकित कराया जाए ।		

NOTE: to be attested by the Gazetted Officer of D.D.A or Head of Office.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY समेकित बेबाकी प्रमाण-पत्र

CONSOLIDATED NO DEMAND CERTIFICATE

सभी सर्बोधत शाखाओं जैसे सुरक्षा-कक्ष, चिकित्सा-कक्ष, पुस्	तकालय, दि.वि.प्रा. कर्मचारी थ्रिफट एण्ड केडिट
सोसायटी, स्टाफ क्वार्टर-कक्ष, नजारत शाखा से रिपोर्ट प्राप्त होने के प	पश्चात यह प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती	(पदनाम)
के विरुद्ध कुछ भी बकाया नहीं है, जो दिनांक	को सेवा-निवृत्त हो रहे हैं/हो गए है ।
After obtaining the report from all the concerned branches viz	Security Cell, Medical Cell, Library, DDA
Employees Thrift and Credit Society, Staff Quarters Cell, Nazarat B	
against Shri/Smt	
who is going to retire/has retired on	
2. किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है ।	
No disciplinary proceedings are pending	
अथवा	
OR	
यार्थित वर्षामा वे विवत अस्मानमान कर्णाची नंति के	2
उपर्युक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है	
फाइल की पृष्ठ सं	
फाइल की पृष्ठ संपर	प्रस्तुत है ।
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है ।
फाइल की पृष्ठ संपर	प्रस्तुत है ।
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है ।
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर Signature
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर Signature नाम
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर Signature नाम Name पदनाम (खड़ स्टाम्प सहित)
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर Signature नाम Name पदनाम (खड़ स्टाम्प सहित)
फाइल की पृष्ठ संपर पत्राचारपर Disciplinary proceedings are pending against the above named	प्रस्तुत है । official. A copy of the report received from हस्ताक्षर

प्रतिलिपि प्रेक्षित :-

Copy to :-

1.

2.

3

4.

5.

.टिप्पणी : NOTE:

- जो लागू नही है, कृपया उसे काट दें ।
 Please strike out which is not applicable.
- 2. वर्क चार्ज (नियमित) स्टाफ के संबंध में अधिशासी अभियंताओं, उपनिदेशकों अथवा संयुक्त निदेशकों के हस्ताक्षरों से समेकित बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए ।

 The CNDC should be issued under the signatures of Ex. Engineers, Dy. Directors or Jt. Directors in respect of work-charged (Regular) staff.
- 3. नियमित स्टाफ/अधिकारियों के मामले मे शक्तियों के प्रत्यायोंजन के अनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा समेकित बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए । In case of regular staff/officers, the CNDC is to be issued by the Head of Office concerned or by an authorised gazetted officer as per delegation of powers.
- 4. सतर्कता शाखा से प्राप्त विधिवत् अनुप्रमाणित रिपोर्ट की पठनीय प्रति भी साथ होनी चाहिए । A legible copy of report from Vigilance Branch duly attested must accompany.

दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अनुबंध-15	
Annexure-XV	1

المستورات المستو	
दिनांकको सेवानिवृत्त होने वाले श्री/श्रीमती/	
कुमारी	4
के संयुक्त फोटो ।	
JOINT PASSPORT PHOTOGRAPHS OF Shri/Smt./Kumari	
S/o, W/o, D/oretiring on	
5/6, 11/6, 2/6	
श्री/श्रीमती	
के कार्यालय प्रमुख द्वारा सांक्ष्यांकित संयुक्त फोटो)	
Joint photographs of Shri/Smtattested by Head of Office.	,
attosted by Fredd of Office.	
हस्ताक्षर	
Signature	
नाम	
Name	
पदनाम	
Designation	
(मोहर सहित)	-1 P
(with rubber stamp)	
नोट :	
NOTE:	
1. वर्क चार्ज (नियमित) कर्मचारी हेतु कार्यालय प्रमुख संवंधित उपनिदेशक/	
संयुक्त निदेशक/अधिशासी अभियंता है । Head of Office for work-charged (Regular) staff is concerned	
Dy. Director/Jt. Director/Ex. Engineer.	
2. नियमित श्रेणी ''ग'' ''घ'' के स्टाफ के लिए निदेशक (कार्मिक) ।	
2. नियमित श्रणा ''ग'' 'घ'' के स्टाफ के लिए निदेशक (कार्मिक) । For regular group 'C' & 'D' staff is Director (P)	
3. श्रेणी ''क'' और ''ख'' अधिकारियों के लिए आयुक्त (कार्मिक) । For group 'A' & 'B' officers is Commissioner (P)	
to group it a b omore to commoder (i)	

सैन्ट्रल बैंक आँफ इंडिया से पेंशन ड्रा करने हेतु आवेदन APPLICATION FOR DRAWAL OF PENSION THROUGH CBI

सेवा में, To,

लेखा अधिकारी (पेंशन)
The A.O. (Pension)
दि.वि.प्रा., ब्लॉक-सी-2/115,
DDA, Block-CII/115,
विकास सदन, पहली मंजिल,
Vikas Sadan, Ist Floor
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
I.N.A., New Delhi-110023

Name

desired.

(ख)

शाखा, जहाँ भुगतान चाहिए

Branch where payment

महोदय, Sir,

में दिल्ली, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शहरों स<mark>हित में सैन्ट्रल बैंक ऑफ इं</mark>डिया के माध्यम से अपनी पेंशन ड्रा करने का इच्छुक हूँ । मैं निम्नानुसार आवश्यक विवरण दे रहा हूँ ताकि आप इस संबंध में प्रबन्ध कर सकें :-

I opt to draw my pension through CBI in Delhi, New Delhi Regional Offices and adjoining states including cities of National Capital Region given below necessary particulars to enable you to make arrangements in this regard:

1.	पॅशनधाः Particu	ी का विवरण :- lars of pensioner.				
,	্ (ক)	नाम Name	:		· 	
	(ख)	पी.पी.ओ. नम्बर P.P.O. No.	:			
	(ग)	वर्तमान पता Present Address	-	i i	 ,	
2.	प्राधिकृत Particu	सी.बी.आई. का विवरण :- lars of the authorised CBI				
	(再)	नाम	I		 	

3.	पेंशन धारी के बैंक शाखा का बचत खाता संख्या, जहां पर पेंशन क्रेडिट की जाएगी Pensioners SB Accounts No. at the branch to which pension is to be credited.			
4.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित			
	पास पोर्ट साइज के दो फोटो			
	Two pass-port size photograph duly attested by G.O.	y		
5.	मूल पी.पी.ओ. पुस्तिका			
	Original P.P.O. Book.			
6.	लम्बाई एवं पहचान चिन्ह्		:	
	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित Height & Identification marks			
	Attested by Gazetted Officer			
7.	तीन नमूना हस्ताक्षर 1 Three specimen signatures		:	
	, , , , ,	2.	:	
	प्रमाणित)			
	(Attested by Gazetted Officer)	3.		
	Gazetted Officer)			
				भवदीय, Yours faithfully,
				rours faithfully,
				(पेंशनधारी)
				(PENSIONER)
स्थान :				
Place				
्रात्रांक ate:			पी.पी.ओ. नं P.P.O. No.	

सैन्ट्रल बैंक आँफ इंडिया से पेंशन ड्रा करने हेतु आवेदन APPLICATION FOR DRAWAL OF PENSION THROUGH CBI

सेवा में, To,

लेखा अधिकारी (पेंशन)
The A.O. (Pension)
दि.वि.प्रा., ब्लॉक-सी-2/115,
DDA, Block-CII/115,
विकास सदन, पहली मंजिल,
Vikas Sadan, Ist Floor
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
I.N.A., New Delhi-110023

महोदय, Sir,

में दिल्ली, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शहरों सहित में सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी पेंशन ड्रा करने का इच्छुक हूँ । मैं निम्नानुसार आवश्यक विवरण दे रहा हूँ ताकि आप इस संबंध में प्रबन्ध कर सकें :-

I opt to draw my pension through CBI in Delhi, New Delhi Regional Offices and adjoining states including cities of National Capital Region given below necessary particulars to enable you to make arrangements in this regard:-

1.	<mark>पेशनधा</mark> र Particu	ी का विवरण :- lars of pensioner.			
	(ক)	नाम .	:	 	
a .		Name	w		
	(ख)	पी.पी.ओ. नम्बर		 	
		P.P.O. No.			
	(শ)	वर्तमान पता		 	
		Present Address			
2.	प्राधिकृत	सी.बी.आई. का विवरण :-			
		lars of the authorised CBI			
	(ক)	नाम	:	 	
		Name		200	
	(ख)	शाखा, जहाँ भुगतान चाहिए		 · ·	
	(9)	Branch where payment			
	3.80	desired.			

3.	पेंशन धारी के बैंक शाखा का बचत खाता संख्या, जहां पर पेंशन क्रेडिट की जाएगी Pensioners SB Accounts No. at the branch to which pension is to be credited.		
4.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित		
	पास पोर्ट साइज के दो फोटो Two pass-port size photograph duly attested by G.O.		
5.	मूल पी.पी.ओ. पुस्तिका Original P.P.O. Book.	:	
6.	लम्बाई एवं पहचान चिन्ह् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित Height & Identification marks Attested by Gazetted Officer		
7.	तीन नमूना हस्ताक्षर 1. Three specimen signatures (राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2. प्रमाणित) (Attested by 3.		
	Gazetted Officer)		
			भवदीय, Yours faithfully,
			(पॅशनधारी) (PENSIONER)
स्थान : Place			
दिनांक	-	पी.पी.ओं. नं	
Date :		P.P.O. No.	

UNDERTAKING

[TO BE FURNISHED BY RETIREE IN DUPLICATE AND ONE COPY OF WHCIH IS TO BE FORWARDED TO STAFF QUARTER BRANCH BY WELFARE SECTION]

1		S/o Shri		
resid				
empl	oyed with DDA as		hereby declare as unde	er: _#
1.	I am residing in DDAS	Staff Quarter No	at	
	w.e.f	allotted to me	e vide allotment Order No	
	dated	and possession tal	ken by me	
	and my Contact No. is	3		
2.	I hereby undertake th	at I will vacate the above me	entioned Staff Quarter No	
	at	within a pe	riod of eight months [if allotte	ed prior to 01.07.2013] or
	six months [if allotted	on or after 01.07.2013] of n	ny superannuation after clea	ning all my dues towards
	water and electricity	charges.		
2	Lianna Fanis baisa	deducted by the Assessed	Desertes	
3.		deducted by the Accounts	Department from my salary	every month. A copy of
	pay slip is enclosed.			
4.	I have already vacated	Staff Quater No.	at	
			dated	
			and handed over	
			learing all dues towards water	
			Staff Quarter Branch on	
			nd Delhi Jal Board is attach	
5.	I hereby undertake th	at I have never been allott	ed any Staff Quarter by DDA	A and presently residing
			. My contact number	
			oornaachamber	
				EXECUTANT
he a	bove-named Executant.	do hereby verify on the	day of	201 that
			and correct to the best of my	
		al has been concealed the		age and no that

EXECUTANT

ATTESTED BY GAZETTED OFFICER

Strike out whichever is not applicable

UNDERTAKING

		S/o Sh	nri		
reside	ence of				
empl	oyed with DDA as		hereby declare as I	under:	
1.	Lam residing in DDA Staff Qua	arter No	at		
	w e.f				
				My permanen	
	address is				
	and my Contact No. is				
2.	I hereby undertake that I will	vacate the above r	nentioned Staff Quarter No	0	
				allotted prior to 01.07.2013] or	
	six months [if allotted on or after 01.07.2013] of my superannuation after cleaning all my dues towards				
	water and electricity charge	S.			
3.	Licence Fee is being deducted by the Accounts Department from my salary every month. A copy of				
	pay slip is enclosed.				
4.					
	possession of which was tal	ken on	and handed	over the same to the Mainte	
	nance Division onafter clearing all dues towards water and electricity etc. and				
	surrender slip of which has been submitted in the Staff Quarter Branch on				
	Copy of No Dues Certificate	from BSES/NDP	L and Delhi Jal Board is a	ttached.	
5.	I hereby undertake that I ha	ave never been all	otted any Staff Quarter by	DDA and presently residing	
				mber us	
				EXECUTANT	
			1	204 the	
The	above-named Executant, do he	reby verify on the_	day ot	201 tha	
	nformation given in the aforesai			or my knowledge and no tha	
ofiti	s false and nothing material has	s been concealed	mereirom.		
				EXECUTAN	

ATTESTED BY GAZETTED OFFICER

Strike out whichever is not applicable

दिल्ली विकास प्राधिकरण (सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/वर्कचार्ज भविष्य निधि अनुभाग) (अराजपत्रित अधिकारियों के लिए)

			भविष्य निधि खाते में से
शेष रा	श के अंतिम भुगतान हेतु आवेदन फ	जर्म ।	
सेवा में			
	मुख्य लेखाधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण,		
	विकास सदन, नई दिल्ली ।		
		(कार्यालय के प्रधान के माध्यम से	
महोदय			
माह के दिया है	लिए छटटी पर हं/कार्य मक्त/बरख	-निवृत्त हो चुका हूं/सेवा निवृत्त होने । ब्रास्त कर दिया गया हूं । दि. वि. प्रा. के पूर्वाह्न/अपराह्न से मेरा	के पहले की से <mark>वा से अंतिम रुप से त्याग-पत्र दे</mark> त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है ।
2. प्रबन्ध	मैं अनुरोध करता हूं कि नियमों के करने का कष्ट करें । मेरा	अंतर्गत देय ब्याज सहित मेरे खाते मे खाता संख्या.	ं जमा <mark>सारी राशि का भुगतान</mark> करने का है ।
3.	मेरे भविष्य निधी खाते से वित्त घो	षित निम्नलिखित जीवन बीमा पॉलिसि	यां दे दी <mark>जायें</mark> :-
	पालिसी संख्या	कम्पनी का नाम	बीमे की राशि
1.			
2.			
3.			
4.			
			भवदीय
			(हस्ताक्षर)
स्थान.			नाम
रिजांक			पता

फार्म-''बी-2''

(कार्यालय प्रधान के प्रयोग के लिए) मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही <mark>हेतु प्रेषित।</mark>

2.	श्री/श्रीमती/कुमारी		
का भवि	ाष्य निधि खाता संख्या (वर्ष प्रति वर्ष	उन्हें दिए गए विवरण पत्रों के सत	यापन के अनुसार)
		है ।	
3.	वे अंतिम रुप से सेवा निवृत्त हो ग	गए हैं/सेवा-निवृत्त होगें/सेवा निवृ	ृत्त होने से पहले
		महीने के लिए छुट्टी प	ार हैं <mark>/कार्य मुक्त हो गए हैं/बर्ख</mark> ास्त कर दिये
गए हैं/	दि.वि.प्रा. की सेवा से अंतिम रूप से	त्याग-पत्र दे दिया है/दिनांक	
के पूर्वा	ह्न/अपराह्न/उनका त्याग-पत्र स्	वीकार कर लिया गया है ।	
4.			4 ,
			(शब्दों में) उनके वेतन से निधि की अंतिम
कटौती	की गयी और कटौती की राशि		
रुपये है	और अग्रिम राशि की वापसी के रूप	में वसूली	रुपये है ।
5.	प्रमाणित किया जाता है कि नौकरी	छोडने सेवा निवृत्त होने की त	गरीख के पहले छुट्टी पर चले जाने पर या
			कोई अ <mark>स्थायी अ</mark> ग्रिम राशि और न ही अंतिम
	की स्वीकृति दी गयी थी ।		
		या	
		2 2 2 6 22 6 6	
			व के पहले छुट्टी पर चले जाने पर या उसके
		निधि खाते से निम्नलिखित अस्था	यी अग्रिम राशि/अंतिम निकासी की स्वीकृति
दी गयी	थी और निकाली गयी थी :-		
	अग्रिम निकासी की राशि	दिनांक	वाउचर संख्या
		**	
1.			
2.			
3.		y \$-	
0.	•		

6. प्रमाणित किया जाता है कि नौकरी छोड़ने/सेवा-निवृत्त होने की तारीख के पहले छुट्टी पर चले जाने पर या उसके बाद 12 महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से कोई राशि नहीं निकाली गयी थी/निम्नलिखित राशि बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु या नई पालिसी खरीदने हेतु निकाली गई थी ।

राशि

दिनांक

वाउचर सं.

1.

2.

3.

4.

7. प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिए दि.वि.प्रा. की कोई राशि बकाया नहीं है ।

निम्नलिखित राशि बकाया हैं।

(कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर)

J-153/15-16/User-3